न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 503/2022
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. अभिषेक पुत्र भूपेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. मुकेश कुमार पुत्र मलकीत सिंह जाति जाट साकिन मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. मनीष कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट साकिन मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. मनोज कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट साकिन मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. सुमित कुमार पुत्र सरजीत सिंह जाति जाट साकिन लीलांवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ।

— वादीगण

बनाम्

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति जाट साकिन लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. आरजू पुत्री भूपेन्द्र सिंह जाति जाट साकिन लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. मलकीत सिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति जाट सा. लीलांवाली हाल मेहरवाला तह.टिब्बी जिला हनुमानगढ
4. किरण पुत्री मलकीत सिंह जाति जाट सा. मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. महेन्द्र सिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति जाट सा. लीलांवाली हाल मेहरवाला तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. सरजीत सिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति जाट साकिन लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
7. रवीना पुत्री सरजीत सिंह जाति जाट साकिन लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
8. मिनाक्षी पुत्री सरजीत सिंह जाति जाट साकिन लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
9. तहसीलदार (राजस्व) तह. संगरिया। —प्रतिवादीगण

उपस्थित—

1. श्री बलवंत झोरड एडवोकेट, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री संजय धारणिया एडवोकेट, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 8

निर्णय दिनांक :—18.01.2023

वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के विरूद्ध अन्तगर्त धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 28.9.2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया कि चक 6 एम.एम.के. के खाता सं. 96/8 में प्रतिवादी सं. 1,3,5,6 के नाम से खाता कि कुल भूमि 2.024 है में से प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व चक 3 एम.एम.के. के खाता सं. 73/59 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 1.114है., प्रतिवादी सं. 3 का 1.113है., प्रतिवादी सं. 5 का 1.114है. व प्रतिवादी सं. 6 का 1.113है. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कि वाद—पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की साझा कृषि भूमि है उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1, 3, 5 व 6 को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है । वादीगण व प्रतिवादी सं. 1, 3, 5 व 6ने घरू तौर पर उक्त कृषि भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन कर लिया है। हिस्सा अनुसार घरू विभाजन के अनुसार वादी सं. 1 को चक 6 एम.एम.के. के खाता सं. 96/8 मे 0.4048है. व चक 3 एम.एम.के. के खाता सं. 73/59 में 1.114है., वादी सं. 2 को चक 6 एम. एम.के. के खाता सं. 96/8 मे 0.4048है. व चक 3 एम.एम.के. के खाता सं. 73/59 में 1.113है., वादी सं. 3 व 4 को चक 6 एम.एम.के के खाता सं. 96/8 में 0.4048है. ब.हि.ब. व चक 3 एम.एम.के. के खाता सं. 73/59 में 1.113है. ब.हि.ब. व वादी सं. 5 को चक 6 एम.एम.के के खाता सं. 96/8 में 0.4048है. व चक 3 एम.एम.के. के खाता सं. 73/59 में 1.113है. कृषि भुमि प्राप्त हुई है जिसे वादीगण अपने नाम से घोषित करवाने व चक 6 एम.एम.के. खाता सं. 96/8 व चक 3 एम.एम.के के खाता सं. 73/59 से प्रतिवादी सं. 1, 3, 5, व 6 का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी अधिकारी व दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 2, 4, 7 व 8 ने अपने हक व हिस्सा का परित्याग हिस्सा अनुसार घरू विभाजन के अनुसार वादीगण के पक्ष में कर दिया है अब प्रतिवादी सं. 2, 4, 7 व 8 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के मध्य राजीनामा निस्पादित किया गया जो बाद तस्दीक पत्रावली में शामिल किया गया।वादीगण मौका पर वाद—पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार ही काबिज है कब्जा काश्त बाबत् किसी तरह का कोई विवाद नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में कब्जा अनुसार घोषणा न होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर बुरा असर पड़ता है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा की आप विवाद ग्रस्त आराजी का वादी को दावा की चरण सं. 3 के अनुसार कृषि भूमि की घोषणा होना मान लो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटौल करते रहे लेकिन अंत में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण, वादी की बात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गये यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया

गया। राजीनामा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 9 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 5 ने अपना शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ विरास्तन साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात पेश किये :—

1. नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम 6 एमएमके इन्तकाल संख्या 236 प्रदर्श—1
2. नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम 3 एमएमके इन्तकाल संख्या 228 प्रदर्श—2

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 6 एमएमके के खाता संख्या 96/8 खाता भूपेन्द्र सिह वगैरा एवं चक 3 एमएमके खाता संख्या 73/59 खाता भूपेन्द्र सिह वगैरा में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 6 एमएमके के इन्तकाल संख्या 236 एव चक 3 एमएमके के इन्तकाल संख्या 228 प्रदर्श करवाई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। चक 6 एमएमके के इन्तकाल संख्या 236 प्रदर्श—1 एव चक 3 एमएमके इन्तकाल संख्या 228 प्रदर्श— 2 करवाये गये है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी क़ी घोषणा बाबत राजीनामा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। राजीनामा इस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता हैः—

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादी सं. 1 को चक 6 एम.एम.के. के खाता सं. 96/8 मे 0.4048है. व चक 3 एम.एम.के. के खाता सं. 73/59 में 1. 114है., वादी सं. 2 को चक 6 एम.एम.के. के खाता सं. 96/8 मे 0.4048है. व चक 3 एम.एम.के. के खाता सं. 73/59 में 1.113है., वादी सं. 3 व 4 को चक 6 एम.एम.के के खाता सं. 96/8 में 0.4048 है. ब.हि.ब. व चक 3 एम.एम.के. के खाता सं. 73/59 में 1.113है. ब.हि.ब. व वादी सं. 5 को चक 6 एम.एम.के के खाता सं. 96/8 में 0.4048है. व चक 3 एम.एम.के. के खाता सं. 73/59 में 1.113 है. कृषि भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक 6 एम.एम.के. खाता सं. 96/8 व चक 3 एम.एम.के के खाता सं. 73/59 से प्रतिवादी सं. 1, 3, 5, व 6 का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए
प्रकरण संख्या:– 503/2021

1. अभिषेक पुत्र भूपेन्द्र कुमार जाति जाट सा. लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. मुकेश कुमार पुत्र मलकीत सिंह जाति जाट सा.मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. मनीष कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट सा.मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. मनोज कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट सा.मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. सुमित कुमार पुत्र सरजीत सिंह जाति जाट सा.लीलांवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम्

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति जाट सा. लीलांवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. आरजू पुत्री भूपेन्द्र सिंह जाति जाट साकिन लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. मलकीत सिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति जाट सा.लीलांवाली हाल मेहरवाला तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. किरण पुत्री मलकीत सिंह जाति जाट साकिन मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. महेन्द्र सिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति जाट साकिन लीलांवाली हाल मेहरवाला तह.टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. सरजीत सिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति जाट सा.लीलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
7. रवीना पुत्री सरजीत सिंह जाति जाट साकिन लीलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
8. मिनाक्षी पुत्री सरजीत सिंह जाति जाट साकिन लीलांवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ।
9. तहसीलदार (राजस्व) तह. संगरिया।

–प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजिर श्री बलवंत झोरड एडवोकेट मिन जामिन मुद्दई श्री संजय धारणिया एडवोकेट मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि वादी सं. 1 को चक 6 एम.एम.के. के खाता सं. 96/8 मे 0.4048है. व चक 3 एम.एम.के. के खाता सं. 73/59 में 1.114है., वादी सं. 2 को चक 6 एम.एम.के. के खाता सं. 96/8 मे 0.4048है. व चक 3 एम.एम.के. के खाता सं. 73/59 में 1.113है., वादी सं. 3 व 4 को चक 6 एम.एम.के के खाता सं. 96/8 में 0.4048 है. ब.हि.ब. व चक 3 एम.एम.के. के खाता सं. 73/59 में 1.113है. ब.हि.ब. व वादी सं. 5 को चक 6 एम.एम.के के खाता सं. 96/8 में 0.4048है. व चक 3 एम.एम.के. के खाता सं. 73/59 में 1.113 है. कृषि भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक 6 एम.एम.के. खाता सं. 96/8 व चक 3 एम.एम.के के खाता सं. 73/59 से प्रतिवादी सं. 1, 3, 5, व 6 का नाम कलमजन किया जाता है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज......×........नल......×........मुब्लिक.......×.......निल.......×........बाबत्......×........निल.......×.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......×.......अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.01.2023 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official